## प्रपत्र FORM XLV

डी.बी.ओ.सी.डब्ल्यु(आर.ई. एवं सी.एस.) नियमावली, 2002 का नियम 283 देखें See Rule 283 of DBOCW (RE&CS) Rules, 2002

## परिवार पेन्शन हेतु आवेदन-पत्र Application for Family Pension

1.	आवेदक का नाम एवं पता	
	Name & Address of applicant	
2.	पेन्शनभोगी/कामगार का पता	
	Address of the pensioner/worker	20
3.	कामगार के साथ रिश्ता	
	Relation with worker	
4.	कामगार के निधन की तिथि	
	Date of death of the worker	
5.	कामगार द्वारा प्राप्त की गई मासिक पेन्शन	
	Monthly pension received by the worker	
6.	कामगार द्वारा सरकारी/अर्ध सरकारी अथवा किसी अन्य संस्था	
	से पेन्शन प्राप्त की जा रही है? यदि हाँ, तो उसका ब्योरा दें	
	Whether applicant is receiving pension from	
	Govt./Semi Govt. or any other institution? If yes,	
	details thereof	ar a
7.	क्या आवेदक द्वारा सरकारी/अर्ध सरकारी अथवा किसी अन्य	
	संस्था से वेतन प्राप्त किया जा रहा है? यदि हाँ, तो उसका	
	ब्योरा दें	
	Whether applicant is receiving salary from	
	Govt./Semi Govt./ Pvt. Institutions? if yes, details	14
	thereof	
8.	प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की सूची	
	List of the documents submitted.	4 A

उपर्युक्त तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही हैं।

The facts furnished above are true to my knowledge and information.

		आवेदक के हस्ताक्षर
		Sign. of the applicant
		आवेदक का नाम
		Name of the applicant
स्थान Place		
दिनांक Date		

आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची List of documents to be submitted along with application.

- 1. कामगार का मृत्य प्रमाण-पत्र Death certificate of worker.
- 2. कामगार एवं आवेदक के बीच रिश्ता दर्शाने वाला ग्राम अधिकारी का प्रमाण-पत्र Village Officer's Certificate showing relationship between the applicant and the worker.
- 3. आवेदक द्वारा सरकारी/अर्ध सरकारी/ निजी संस्था से कोई पेन्शन प्राप्त नहीं की जा रही है इस संबंध में ग्राम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र Village Officer's Certificate stating that the applicant is not receiving any pension from Govt/ Semi Govt/ Pvt. Institutions/Origination.
- 4. आवेदक द्वारा सरकारी/अर्ध सरकारी/ निजी संस्था से कोई वेतन प्राप्त नहीं किया जा रहा है इस संबंध में ग्राम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र Village Officer's Certificate stating that the applicant is not receiving any salary from Govt./ Semi Govt./ Pvt. Institutions/ Origination.